श्री श्याम बाबा के जन्मोत्सव पर संकीर्तन आज

पानीपत/कौशिक : शिवाजी स्टेडियम में श्री मोर मुकुट धारी सेवा मंडल द्वारा 21 नवंबर को श्याम बाबा के जन्मोत्सव पर होने वाले श्याम संकीर्तन किया जाएगा। यह जानकारी वीरेन्द्र जैन ने देते हुए बताया कि श्री श्याम बाबा चुलकाना धाम से महाराज देवेंद्र पुजारी सकीर्तन में विशेष रूप से उपस्थित रहेगें। कीर्तन में श्री धाम वृंदावन से बाबा चित्र-विचित्र ,चुलकाना धाम से रेनू दीदी व तमन्ना त्यागी, करनाल से विशि अरोड़ा, पानीपत से पंकज कुमार भजनों के माध्यम से बाबा का गुणगान करेंगे।

केजरीवाल ने 83 और दुकानों-व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को 24 घंटे खोलने की दी अनुमति

उत्तम हिन्दू न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली : दिल्ली में नाइट लाइफ, आर्थिक गतिविधि और रोजगार को बढ़ावा देने के इरादे से केजरीवाल सरकार ने 83 दुकानों और व्यवसायिक प्रतिष्ठनों को 24 घंटे संचालित करने की अनुमति दी है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के श्रम विभाग से मिले प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। ये व्यवसायिक प्रतिष्ठान शॉप, कमर्शियल, रेस्टोरेंट, एस्टीब्लिशमेंट, रिटेल ट्रेड कटेगरी ही हैं। दुकान स्वामियों को दिल्ली शॉप एस्टीब्लिशमेंट एक्ट 1954 में दिए गए प्रावधानों और नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। सरकार इन दुकानों की निगरानी भी करती रहेगी, ताकि कोई नियमों का उल्लंघन करे तो उस पर कार्रवाई की जा सके। इन व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के 24 घंटे संचालित होने से अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। अब एलजी से प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद ये दुकानें 24 घंटे संचालित हो सकेंगी।

दिल्ली शॉप एंड एस्टिब्लिशमेंट्स एक्ट 1954 के तहत दिल्ली के श्रम विभाग के पास 24 घंटे दुकानों का संचालन करने के इच्छुक 122 लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किया था। श्रम विभाग द्वारा इन आवेदन पत्रों और दस्तावेजों की गहनता से जांच की गई, जिसमें पाया गया कि 122 आवेदनों में से 29 आवेदन पत्रों में कमियां हें। इस आधार पर इन आवेदनों पर विचार नहीं किया गया। जबकि 83 आवेदन पत्रों के दिल्ली शॉप एंड एस्टिब्लिशमेंट्स एक्ट 1954 के नियमों के अनुसार सभी जरूरी दस्तावेज सही पाए गए। इसलिए इन व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के आवेदन को स्वीकृति दी गई है।

व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के स्वामियों को दिल्ली शॉप एस्टिब्लिशमेंट्स एक्ट 1954 की धारा 14, 15 व 16 में दिए गए प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना होगा। मसलन, गर्मियों के मौसम में रात 9 से सुबह 7 बजे तक और ठंड के मौसम में रात 8 से सुबह 8 बजे के दौरान किसी भी प्रतिष्ठान में महिला कर्मचारियों को काम करने की अनुमति नहीं होगी। दुकानों को तय समय के अंदर ही खोलना और बंद करना होगा। इसका उल्लंघन करने पर दुकान बंद कराई जा सकती है। अगर ग्राहक इंतजार कर रहे हैं तो दुकान खोलने के लिए 15 मिनट अतिरिक्त समय मिलेंगे। अलग-अलग इलाकों में दुकानों को खोलने या बंद रखने का अलग-अलग समय निर्धारित हो सकता है और स्वामियों को उसका पालन करना होगा।

उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ वर्षों में

दिल्ली के अंदर 24 घंटे दुकानों व व्यसायिक प्रतिष्ठानों के संचालन की अनुमति लेने वालों की संख्या में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा पिछले कुछ सालों 635 दुकानों-व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को 24 घंटे संचालित करने की अनुमति दी जा चुकी है। इससे पहले, सीएम ने बीते अगस्त में 29 दुकानों व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को अनुमति दी थी, जिसके बाद इनकी संख्या बढ़कर 552 हो गई थी। अब 83 और दुकानों को अनुमति मिलने के बाद इनकी संख्या बढ़कर 635 हो गई है। वहीं, दूसरी ओर 1954 से 2022 तक करीब 68 साल के अंदर सिर्फ 269 दुकानों व प्रतिष्ठानों को 24 घंटे संचालन की अनुमति दी गई थी।

दरअसल, केजरीवाल सरकार दिल्ली के अंदर व्यवसायिक गतिविधियों के अनुकूल माहौल तैयार करने को लेकर बेहद गंभीरता से काम कर रही है, ताकि इसे बढ़ावा मिल सके। सरकार ने व्यावसायिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने और आर्थिक विकास को मजबूत करने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल के सकारात्मक रूख के चलते ही 24 घंटे व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को संचालित करने के इच्छुक दुकान स्वामियों की संख्या बढ़ती जा रही है। व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को 24 घंटे संचालन की अनुमति देने के पीछे सरकार का उद्देश्य रोजगार के अधिक अवसर पैदा करना और दिल्ली की अर्थव्यवस्था के समग्र विकास को बढ़ावा देना है। इससे व्यवसायों और उपभोक्ताओं दोनों पर समान रूप से सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। साथ ही, व्यापारियों को ज्यादा समय तक सेवा प्रदान करने की अनुमित मिलने से जनता को भी बेहतर सुविधाएं मिलेगी और वे 24 घंटे आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग कर पाएंगे। वहीं, सीएम अरविंद केजरीवाल के हस्तक्षेप के बाद दिल्ली के अंदर इंस्पेक्टर राज पूरी तरह से खत्म हो गया है। अब दुकानों व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के संचालन को लेकर आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है।

इन कटेगरी की दुकानों खोलने की मिली मंजूरी

दिल्ली सरकार ने जिन दुकानों को 24 घंटे संचालित करने की अनुमति दी है, उनमें कई काटेगरी दुकानें हैं। मसलन, द्वारका, माता सुंदरी, नेताजी सुभाष प्लेस, करोल बाग, सरिता विहार, कमला नगर, द्वारका, सिलेक्ट सिटी, ग्रेटर कैलाश एक में शॉप काटेगारी की एक एक दुकानें खुलेंगी। इसी तरह, डिफेंस कॉलोनी और आईजीआई एयरपोर्ट पर रेस्टोरेंट की एक-एक दुकान 24 घंटें खुलेंगी। राजौरी गार्डेन, ककरौला, लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन, रोशनआरा सब्जी मंडी, पीतमपुरा, चंद्रावली, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया व फेस दो, सेक्टर तीन रोहिणी, उद्योग नगर, धीरपुर, यमुना बैंक, पालम डाबरी, मंगोलपुरी इंडस्ट्रीयल एरिया, नरायणा, बपरौला, गाजीपुर, कृष्णा नगर, नंगली, बमनोली, हौज खास, दशरतपुरी मेट्रो स्टेशन, पुश्ता करतार नगर, द्वारका, सुभाष नगर, मयुर विहार फेस एक, घिटोरनी मेट्रो स्टेशन, आईजीआई एयरपोर्ट, मटियाला, कराला, नरेला, उत्तम नगर, बुराड़ी, गौतम नगर, रोहिणी सेक्टर 19, वेलकम मेट्रो स्टेशन पर कामर्शियल की दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है।

पदाधिकारियों को दिलाई पद एवं गोपनीयता की शपथ

उत्तम हिन्दू न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली/सुनील कुमार : जी. बी. पंत हॉस्पिटल C&D यूनियन 3103 (रजिस्टर्ड) की चुनाव प्रक्रिया के बाद शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। जिसमे चुनाव अधिकारी फिरोज खान द्वारा विकास सारस्वत (अध्यक्ष), और महासचिव रविंद्र कुमार को और कार्यकारिणी में सदस्य उपाध्यक्ष पद पर दिनेश कुमार,मुकेश कुमार, धरमजीत, निरंकार सिंह,सह सचिव पद पर आशीष डोगरा, लोकेश कुमार, प्रदीप पाल, आदिल हुसैन, धर्मेन्द्र कुमार, और कोषाध्यक्ष पद पर जीवन सिंह नेगी, प्रचार सचिव पद पर मनोज कुमार को पद प्रतिष्ठा और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। चुनाव अधिकारी फिरोज खान, रजत वर्मा के साथ मंच पर प्रशासनिक अधिकारी पंकज जोशी, देशवाल जी के अलावा शपथ ग्रहण समारोह में आमन्त्रित हरीश त्यागी एआईयूटीयूसी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ,, ÷विजय कुमार (एन पी एच ए) अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश और दिल्ली राज्य सयुक्त संघर्ष समिति के अध्यक्ष/ महासचिव रघुविंदर सिंह, संजय डीलोर (अध्यक्ष) लोक नायक अस्पताल कर्मचारी यूनियन (717) एवम सुजाता मखीजा (अध्यक्ष)लोक नायक अस्पताल पेरामेडिकल टेक्निकल एम्प्लॉय यूनियन रजिस्टर्ड और महाचिव नफे सिंह गुरू नानक नेत्र केंद्र व और जी बी पंत हॉस्पिटल पैरामेडिकल टेक्निकल एम्प्लॉय यूनियन रजिस्टर्ड के अध्यक्ष/महासचिव आर एस राणा, सुशील कुमार फूल माला और पगड़ी बांध कर स्वागत किया.

NPHA दिल्ली के अध्यक्ष विजय कुमार ने नवनिर्वाचित टीम को बधाई देते हुए कहा कि आज सरकार /प्रशासन यूनियनों को खत्म करने के नए-नए तरीके अपना रही जबकि सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों जैसे आउटसोर्सिंग,निजी करण पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP)के नाम पर कर्मचारियों की छंटनी जैसे नीतियों के लिए जुझारू यूनियन और कर्मचारियों का होना बहुत जरूरी है साथ ही लोक नायक अस्पताल रेडियोलॉजी विभाग की सेवाओ को निजी हाथों में अथवा (पी. पी. पी), देना।

कार में बिठाकर किशोरी को पिलाया नशीला पदार्थ, अश्लील हरकत के बाद फेंककर दो आरोपी फरार

उत्तम हिन्दू न्यूज़ नेटवर्क

नोएडा : नोएडा में एक 11वीं की छात्रा को कार में बिठाकर नशीला पदार्थ पिलाने और अश्लील हरकत करने का मामला सामने आया है। छात्रा की मां ने बेटी के साथ गलत हरकत करने का आरोप लगाकर पुलिस से शिकायत की है। मामले में पहले कोतवाली एक्सप्रेसवे पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की थी। बाद में इसमें अश्लील हरकत की धारा को जोड़कर जांच शुरू की गई है। कोतवाली एक्सप्रेसवे क्षेत्र निवासी महिला ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि गुरुवार को उनकी 16 साल की बेटी गोल्डन पाम सोसाइटी के पास स्कूल के कागज का प्रिंट कराने गई थी। जहां अभिनव भाटी और देव मिले। दोनों ने बहला-फुसलाकर उसे गाड़ी में बैठा लिया और जबरन नशीला पदार्थ पिलाकर गलत हरकत की। इस दौरान युवकों ने मोबाइल भी छीन लिया। कई बार महिला ने बेटी को कॉल की, लेकिन फोन नहीं उठा। रात करीब आठ बजे एक अन्य महिला ने लड़की की मां को फोन कर बताया कि उसकी बेटी को दो युवक पैरामाउंट सोसाइटी की सीढ़ी पर फेंककर भाग गए हैं। महिला जब घटनास्थल पर पहुंची तो एक अन्य युवक ने उसे बताया कि बेटी के कपड़े उसकी दोस्त ने सही किए हैं। मां ने देखा तो बेटी के गले और गाल सहित शरीर के अन्य हिस्से पर चोट के निशान थे।

पुलिस ने अभिनव और देव के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

उपन्यास 'फायर बर्ड' को जेसीबी साहित्य पुरस्कार

उत्तम हिन्दू न्यूज़ नेटवर्क

नयी दिल्ली : लेखक पेरूमल मुरूगन के उपन्यास 'फायर बर्ड' को वर्ष 2023 के जेसीबी साहित्य पुरस्कार दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी के ताज मानसिंह होटल में आयोजित भव्य समारोह में मुरूगन को पुरस्कारस्वरूप 25 लाख रुपये और अनुवादक जननी कन्नन को 10 लाख रुपये की नकद राशि प्रदान की गयी। समारोह में जेसीबी इंडिया लिमिटेड के सीईओ और प्रबंध निदेशक दीपक शेट्टी ने मुरूगन को एक सुंदर कलाकृति 'मिरर मेल्टिंग' सम्मान के रूप में प्रदान किया । मुरुगन और कन्नन किसी कारणवश समारोह में उपस्थित नहीं हो सके जिसके कारण पुस्तक की तमिल प्रकाशक और अंग्रेजी संस्करण की संपादक मानसी सुब्रमण्यम ने ये पुरस्कार ग्रहण किये। इस मौके पर शेट्टी ने कहा, 'भारत के प्रति लॉर्ड बैमफोर्ड परिवार की प्रतिबद्धता और स्नेह के प्रतीक के रूप में साहित्य के लिए

जेसीबी साहित्य पुरस्कार की शुरूआत की गयी थी। मात्र छह वर्षों की अवधि में, इसने अपनी मौलिकता के कारण साहित्य जगत में अपने लिए एक विशिष्ट जगह बना ली है, जो विभिन्न संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व करने वाली भारतीय भाषाओं में लेखन को पुरस्कृत करती है और उनकी सफलता के महोत्सव में शामिल होती है।'

सलेम अट्टूर और नमक्कल के सरकारी आर्ट कॉलेज में तमिल भाषा के प्रोफेसर रहे मुरुगन ने 12 उपन्यास, 6 लघुकथा संग्रह, 6 कविता संग्रह, और अन्य कई नॉन फिक्शन किताबें लिखी हैं। इनमें से 10 उपन्यासों को को अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। उनके लिखे उपन्यासों में सीजन्स ऑफ द पाम (वर्ष 2005 में किरियामा पुरस्कार के लिए चयनित) , करंट शो, वन पार्ट वुमन, ए लोनली हार्वेस्ट, ट्रेल बाय साइलेंस, पूनाची या द स्टोरी ऑफ ए गोट, रिजॉल्व, एस्टुअरी, राइजिंग हीट और पायर शामिल हैं। इन दिनों अमेरिका में निवासरत कन्नम पेशे से आर्किटेक्ट, अनुवादक, सिंगर और मैराथन रनर हैं। उन्होंने हाल ही में अपना पहला अनुवाद पेरुमल मुरुगन लिखित पहले उपन्यास 'राइजिंग हर्ट' का अनुवाद किया है।

केवल महिला ही नहीं कोई भी यात्री ट्रेन में सुरक्षित नहीं : गायत्री बिश्नोई

उत्तम हिन्दू न्यूज़ नेटवर्क

नयी दिल्ली : राजस्थान के जयपुर से श्री गंगानगर तक यात्रा कर रही महिला यात्री गायत्री बिशनोई के लिए 19 नवंबर को ट्रेन संख्या 22997 के एचए-1/21 कोच में सफर किसी दुःस्वप्न से कम नहीं था जब उसी ट्रेन के तीन पुरुष शराबी यात्री उत्पात मचाते हुए उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे और शायद यही वजह है कि बिशनोई ने कहा, 'ट्रेन में केवल महिला ही नहीं कोई भी यात्री सुरक्षित नहीं है।' बिशनोई ने कहा 'बड़ी हैरानी की बात है, रात को एक बजे ट्रेन में कुछ बदमाश खुलेआम नशे का सेवन कर, गंदी गालियों से यात्रियों को परेशान कर रहे थे। मैंने शिकायत करने की कोशिश की तो पाया कि पूरी ट्रेन में एक भी आरपीएफ़ / जेआरपीएफ तैनात नहीं है। मेरे टीटी द्वारा शिकायत करने पर एक घंटे बाद पुलिस आई। इसी बीच बदमाश मुझे धमकियाँ दे रहे होते है। वो तो

सहायक यात्रियों की मदद से में पूरे मामले में पुलिस के आने तक डटी रही । पर यदि इस एक घंटे के दौरान कोई दुर्घटना घट जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता।'

रेलवे ने शिकायतकर्ता गायत्री बिश्नोई से संपर्क किया गया और उन्हें आश्वासन दिया कि उसकी शिकायत की निगरानी रेल मंत्रालय के वॉर रूम द्वारा की जा रही है और शराबी व्यक्तियों/ अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मंडल सुरक्षा नियंत्रण जोधपुर के आरपीएफ अधिकारियों को उक्त ट्रेन को अटेंड कर तदनुसार कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया।

सुगम्य शौचालयों पर 1554 स्थानीय प्लंबर और राजमिस्त्री हुए प्रशिक्षित

नयी दिल्ली : सुगम्य पारिवारिक शौचालय परियोजना के तहत सुगम्य शौचालयों पर 1554 से अधिक स्थानीय प्लंबर और राजमिस्त्री को प्रशिक्षित किया गया है। विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर एक्सेसिबिलिटी/ सुगम्यता संगठन स्वयं, एवं सहयोगी एजेंसी फाउंडेशन फॉर एक्सेसिबल एक्वानिर एंड सेनिटेशन के साथ मिल कर सुगम्य पारिवारिक शौचालय परियोजना के प्रमुख निष्कर्षों को जारी किया है। प्रारंभिक मूल्यांकन सर्वे से पता चला कि कम गतिशीलता वाले 76 प्रतिशत से अधिक व्यक्तियों को सुगम्यता,स्वच्छता जैसी सुविधाओं तक पहुंचने के लिए बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है।

प्रतीकात्मक कब्जा सूचना

ICICI Home Finance

पंजीकृत कार्यालय: आईसीआईसीआई बैंक टॉवर्ज, बांद्रा कुर्ला कॉम्पलैक्स, बांद्रा (ईस्ट), मुंबई-400051

कॉरपोरेट कार्यालय: आईसीआईसीआई एचएफसी टॉवर, जेबी नगर, अंधेरी कुर्ला रोड, अंधेरी ईस्ट, मुंबई-400059

शाखा कार्यालय: तृतीय मंजिल, 302-303, पर्ल-बर्ट हाइट्स-एल, नेताजी सुभाष प्लेस, वजीरपुर, पीतमपुरा, दिल्ली-110034

जैसा कि

निम्न जारी ऋणदाताओं पर जारी डिमांड सूचना सिक्योरिटी इंटरस्ट (प्रवर्तन) नियमों 2002 के नियम 3 के साथ पढ़ी जाती धारा 13 (12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सिक्योरिटी इंटरस्ट अधिनियम 2002 की वित्तीय संपत्तियां और प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण, विनिर्माण के अन्तर्गत आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी अधोहस्ताक्षरी सूचना में जारी रकम की पुन: अदायगी करने के लिए उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर अदा करने के लिए कहते हैं।

एतद् द्वारा सर्वसाधारण और ऋणदाता सूचित रकम की पुन: अदायगी करने में यदि असफल रहता है तो अधोहस्ताक्षरी निम्न जारी तिथियों पर उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पढ़े जाते उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के अन्तर्गत उसके/उसकी प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न निर्धारित सम्पत्ति का कब्जा करेंगे। विवरणों में ऋणदाता और सर्व साधारण को एतद् द्वारा सम्पत्ति के साथ डील करने वालों को सूचित किया जाता है कि आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के चार्ज के विषय पर सम्पत्ति के साथ कोई डीलिंग न की जाए।

क्र. सं.	ऋणदाता/सह-ऋणदाता का नाम/ऋण खाता संख्या	सम्पत्ति का विवरण/ कब्जा की तिथि	डिमांड नोटिस की तिथि/ डिमांड नोटिस में रकम (रु.)	शाखा का नाम
1.	सुनील कुमार (ऋणदाता), मिथलेश (सह-ऋणदाता), अनिल (सह-ऋणदाता) LHPTU00001346212.	34 प्रोप नं. 34 तृतीव मंजिल रूफ राइट के साथ पीछे आरएचएस यूनिट गली नं. 3 ब्लॉक यू सुभाष पार्क उत्तम नगर दिल्ली-110007 (Ref. No. LAN No. LHPTU00001346212) **सीमा:-** उत्तर- प्लाट नं. 35, दक्षिण-प्लाट नं. 33, पूर्व-रास्ता 40 फीट, पश्चिम-लेन 10 फीट/ कब्जे की तिथि 17-नम्बर-23	12.12.2022 रु. 15,60,560/-	उत्तर दिल्ली-पीतमपुरा-बी

उपरोक्त जारी ऋणदाताओं (ों)/जमानतदार(ों) सिक्योरिटी इंटरस्ट (प्रवर्तन) नियमों 2002 के नियमों 8 और 9 के अन्तर्गत प्रावधानों अनुसार इस सूचना की विज्ञप्ति की तिथि से 30 दिनों की समाप्ति पर बिक्री गिरवी सम्पत्तियों की रकम की पुन: अदायगी की सूचना 30 दिनों में एतद् द्वारा की जाने के लिए कहा जाता है।

तिथि: नवम्बर 21, 2023
स्थान: उत्तम नगर

प्राधिकृत अधिकारी
आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

श्री राधा-कृष्ण गौशाला को विजय जैन परिवार ने भेंट की पशु एम्बुलैंस

उत्तम हिन्दू न्यूज़ नेटवर्क

पानीपत/कौशिक : बरसत रोड स्थित श्री राधा-कृष्ण गौशाला में आज गोपाष्टमी का पर्व श्रद्धा पूर्वक मनाया गया जिसमें गौ माता के लिए 56 प्रकार के भोग लगाकर गौ माता की पूजा अर्चना कर आरती उतारी गई। समारोह में भारी संख्या में गौ भक्तों ने पहुंचकर गौ माता को भोग लगाया। कार्यक्रम में जैन स्थानक अंसल के प्रधान जगदीश राय जैन ने सवा आठ लाख की पशु एम्बुलैंस गाड़ी गौशाला को भेंट की। मुख्यअतिथि समाजसेवी एवं पार्षद विजय जैन ने गऊ माता को भोग लगाकर आरती उतारी। कार्यक्रम में आये हुए अतिथियों का गौशाला के पदाधिकारियों ने स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। उन्होने कहा कि गऊ माता में तैतीस करोड़ देवी

देवता का वास है इसलिए हमें गऊ माता सेवा करनी चाहिए।

गऊ माता की सेवा करने से हमारे परिवार व व्यापार में खुशहाली आती है। विजय जैन ने कहा कि गोपाष्टमी के पर्व पर गौ माता की सेवा करने का संकल्प लेना चाहिए। श्री राम दशहरा कमेटी के प्रधान भीम सचदेवा ने कहा कि गौशाला ऐसी सेवा है जिस सेवा को करने के लिए भगवान श्री कृष्ण को धरती पर उतरना पड़ा था। गौ माता की सेवा करने से मानव के छोटे-मोटे रोग स्वतः ही दूर हो जाते हैं और कारोबार में भी उन्नति होती है। श्री राधा कृष्ण गौशाला के प्रधान राजीव जैन ने गौशाला में सहयोग करने पर सभी दानदाताओं एवं सहयोगियों का आभार जताते हुए कहा कि जगदीश राय जैन का विशेष रूप से धन्यवाद किया।

आईबी कालेज की पूजा ने छात्र संगोष्ठी में पाया द्वितीय स्थान

उत्तम हिन्दू न्यूज़ नेटवर्क

पानीपत/कौशिक : भारतीय भाषा दिवस की कड़ी में दयाल सिंह कालेज, करनाल में एक दिवसीय राज्य स्तरीय छात्र संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी के विषय भारतीय ज्ञान परंपरा में भारतीय भाषाओं का योगदान तथा आत्मनिर्भर भारत निर्माण प्रक्रिया में भारतीय भाषाओं का योगदान रहे। संगोष्ठी में आईबी पीजी महाविद्यालय की छात्रा पूजा ने द्वितीय स्थान प्राप्त कर कालेज एवं माता-पिता का नाम रोशन किया। प्राचार्य डा.अजय कुमार गर्ग ने कहा कि किसी भी देश की आत्मनिर्भरता में उस देश की भाषाओं का भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। देश की भाषाएं उसकी संस्कृति, स्मिता, अस्तित्व, इतिहास तथा गौरव का बोध कराते हुए वहां के

नागरिकों को स्वावलंबी, परिश्रमी, अनुशासित, देशप्रेमी तथा स्वदेशी बनाने की प्रेरणा देती है। हिंदी विभागाध्यक्षा डा.शशि प्रभा ने छात्रा को बधाई दी। महाविद्यालय की प्रबंध समिति के महासचिव एलएन मिगलानी, प्राचार्य एवं प्राध्यापकों ने छात्रा को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।

9 दिसम्बर को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

अदालती विवादों के निपटारे के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे आमजन : जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर

उत्तम हिन्दू न्यूज़ नेटवर्क

करनाल/आशुतोष गौतम : मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, करनाल जसबीर ने बताया कि आगामी 9 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस लोक अदालत के दौरान पुराने ट्रैफिक चालान, चैक बाउंस होने से जुड़े विवाद, बैंक रिकवरी से जुड़े विवाद, पानी और बिजली बिल से जुड़े विवाद, पारिवारिक विवाद, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण, मजदूरी, भत्ते और पैंशन भत्तों से जुड़े विवाद, भरण पोषण से संबंधित विवादों व अन्य विवादों को भी सुना जाएगा। लोक अदालत के सफल आयोजन को लेकर श्री चंद्रशेखर, जिला एवं

सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, करनाल की अध्यक्षता में जिला न्यायालय के सभाकक्ष में बैठक का आयोजन किया गया। उक्त संगोष्ठी में समीर धवन, मंडल प्रबंधक, राष्ट्रीय बीमा कंपनी, एस.के. हांडुजा, लीड मैनेजर, पंजाब नेशनल बैंक, अशोक वोहरा, एडवोकेट, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी और अन्य के प्रतिनिधि ने भाग लिया।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर ने प्रतिभागियों से बातचीत करते हुए कहा कि अधिक से अधिक मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों का निराकरण किया जाए तथा इस संबंध में गंभीर प्रयास किए जाएं ताकि मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों के समक्ष लम्बित प्रकरणों का निराकरण किया जा सके। श्री चंद्रशेखर ने बताया कि लोक अदालत वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्रों में से एक है, यह एक ऐसा मंच है जहां अदालत में या पूर्व-मुकदमेबाजी के स्तर पर लंबित विवादों/मामलों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा/समझौता किया जाता है। लोक अदालतों को कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत वैधानिक दर्जा दिया गया है। उक्त अधिनियम के तहत, लोक अदालतों द्वारा किए गए निर्णय (निर्णय) को एक सिविल कोर्ट का एक डिक्री माना जाता है और अंतिम और सभी पक्षों पर बाध्यकारी होता है और इस तरह के एक पुरस्कार के खिलाफ कोई अपील किसी भी अदालत में नहीं होती है।

श्री गुरु रविदास समाज सभा को रैली का न्यौता देने पहुंचे संजय छौक्कर

समालखा/कौशिक : श्री गुरु रविदास समाज कल्याण सभा को अनाज मंडी में 26 नवम्बर को होने वाली जन आशीर्वाद रैली का निमंत्रण भाजपा नेता संजय छौक्कर को देने पहुचें। सभा के पदाधिकारियों ने जन आशीर्वाद रैली में सभा की ओर से पूरा समर्थन देने का वायदा किया। संजय छौक्कर ने कहा कि सभा के पदाधिकारियों का सहयोग देने पर धन्यवाद किया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल 26 नवंबर को समालखा अनाज मंडी में होने वाली रैली में मुख्य अतिथि होंगे। हर वर्ग मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए उत्साहित है। मुख्यमंत्री उस दिन समालखा वासियों को खूब सौगात देंगें।

ICICI Home Finance

कॉर्पोरेट कार्यालय: आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड आईसीआईसीआई एचएफसी टॉवर अंधेरी-कुर्ला रोड, अंधेरी (ईस्ट), मुंबई-400059, इंडिया

शाखा कार्यालय: तृतीय मंजिल, 302-303, पर्ल-बर्ट हाइट्स-एल, नेताजी सुभाष प्लेस, वजीरपुर, पीतमपुरा, दिल्ली-110034

(नियम 8 (6) का परंतुक देखें)

अचल संपत्तियों की बिक्री हेतू सूचना

सुरक्षाहित (प्रवर्तन) नियमों 2002 के नियम 8 (6) की शर्तों के साथ सुरक्षाहित अधिनियम 2002 के प्रवर्तन और प्रतिभूतिकरण और वित्तीय सम्पत्तियों के विनिर्माण के अन्तर्गत अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री की सूचना।

एतद् द्वारा सार्वजनिक सूचना हेतू और ऋणदाता(ों) और ग्रांटर(ों) के विवरणों में सूचित किया जाता है कि निम्न निर्धारित अचल सम्पत्ति बंधक/चार्जड सिक्योरड क्रैडिटर, आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी द्वारा **फिजीकल कब्जा** 'जैसे है जहां है', 'जैसे है क्या है' और 'जो भी है वहां है' के आधार पर निम्न के अन्तर्गत दिए संक्षिप्त विवरणों अनुसार बिक्री की जाएगी।

क्र. सं.	ऋणदाता (ों)/सह ऋणदाताओं/ ग्रांटरों/कानूनी वारिसों के नाम ऋण खाता नं.	सुरक्षित सम्पत्ति(ों) के साथ ऋणभार का विवरण यदि कोई हो	बकाया राशि	आरक्षित कीमत / जमा धरोहर राशि	जांची गई सम्पत्ति की तिथि एवं समय	निलामी की तिथि एवं समय
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)	(छ)
1.	हरिश बंसल (ऋणदाता), शीला बंसल (सह-ऋणदाता) Loan A/c No. LHDEL00001288807	ब्लॉक-सी में सम्पत्ति बेयरिंग नं. 23,प्रथम मंजिल पूर्वी (आरएचएस) बिना रूफ, केएच नं. 262/258/217/4/3, न्यू आचार्य कृपलानी रोड आदर्श नगर गांव भरौला दिल्ली-110033	रु. 25,22,900/- 16, नवम्बर 2023	रु. 45,00,000/- / रु. 4,50,000/-	11 दिसंबर 2023 को प्रात: 11 बजे से सायं 3.00 बजे तक	29 दिसंबर 2023 को सायं 02:00बजे से सायं 03.00 बजे तक

ऑनलाइन नीलामी हमारी नीलामी एजेंसी **ग्लोब टैक** की वेबसाइट **(यूआरएल लिंक- https://BestAuctionDeal.com)** पर आयोजित की जाएगी। गिरवी रखने वालों को नोटिस **28 दिसंबर, 2023 तक सायं 5.00 बजे** से पहले अतिरिक्त ब्याज के साथ कुल देय राशि का भुगतान करने का अंतिम मौका दिया जाता है अन्यथा इन सुरक्षित संपत्तियों को उपरोक्त अनुसूची के अनुसार बेचा जाएगा।

संभावित बोलीदाताओं को **आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, तृतीय मंजिल, 302-303, पर्ल-बर्ट हाइट्स-एल, नेताजी सुभाष प्लेस, वजीरपुर, पीतमपुरा, दिल्ली-110034** में बयाना राशि जमा (ईएमडी) आरटीजीएस/ डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) (कॉलम ई देखें) **या 28 दिसंबर 2023 सांय 4:00 बजे** से पहले जमा करना होगा। संभावित बोलीदाता(ों) पंजीकरण फार्मों और निविदा दस्तावेजों के नियम एवं शर्तों की हस्ताक्षरित प्रति **आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, तृतीय मंजिल, 302-303, पर्ल-बर्ट हाइट्स-एल, नेताजी सुभाष प्लेस, वजीरपुर, पीतमपुरा, दिल्ली-110034** में या **28 दिसंबर, 2023 को सायं 05.00 बजे से** पहले जमा की जा सकती है। बयाना राशि जमा डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) एक राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक से **'आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड-नीलामी'** के पक्ष में **नई दिल्ली** में देय होना चाहिए।

निरीक्षण,